1.7

प्रपत्र–23.1

दिनांक 23/8/2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मटेला, मल्ली पोखरी दि० 14.09.2014

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01.	श्रीमती परी देवी w/o श्री रवड़ सिंह सदस्य- ग्रा० मटेला	परी देवी
02.	श्री शिव सिंह मटियाली S/o श्री अमर सिंह	[illegible]
03.	श्री लक्ष्मीदत्त रुवाली S/o श्री अम्बादत्त	लक्ष्मी दत्त
04.	श्री ईश्वर सिंह S/o श्री लाल सिंह	ईश्वर सिंह
05.	श्री जगदीश राम S/o श्री सेतराम	[illegible]
06.	श्री मोहन राम S/o श्री जगन्नाथ	मोहन राम
07.	श्री दिनेश सिंह मटियाली S/o श्री जगत सिंह	[illegible]
08.	श्री मुरलीधर रुवाली S/o श्री शिवदत्त	मुरलीधर
09.	श्री बची सिंह मटियाली S/o श्री बद्री सिंह	[illegible]
10.	श्री नारायण सिंह S/o श्री हीरा सिंह	[illegible]
11.	श्री चन्दन राम S/o श्री गोविन्द राम	[illegible]
12.	श्री भुवनचन्द्र S/o श्री रवीआनन्द	
13.	श्री नारायण दत्त S/o श्री चन्द्रशेखर	नारायण दत्त
14.	श्री केशव दत्त पोखरियाल S/o श्री चिन्तामणी	केशवदत्त
15.	श्री भवराम टम्टा S/o श्री सेतराम	भवराम
16.	श्री नन्दकिशोर S/o श्री देवी दत्त	नन्दकिशोर
17.	श्री रेवाधर पोखरिया S/o श्री महादेव	रेवाधर पोखरिया
18.	श्री दयाकिशन पोखरिया S/o श्री चिन्तामणी	दयाकिशन
19.	श्री तारादत्त परगाँई S/o श्री सेतराम	तारादत्त
20.	श्री हरिदत्त परगाँई S/o श्री टीकाराम	हरिदत्त
21.	श्री केशवदत्त परगाँई S/o श्री वासुदेव परगाँई	केशवदत्त
22.	श्री चिन्तामणी परगाँई S/o श्री कलदेव	चिन्तामणी
23.	श्रीमती हीरा देवी W/o श्री मनोरथ पोखरिया	हीरा देवी
24.	श्री माधवानन्द पोखरिया S/o श्री प्रेमपति	माधवानन्द
25	श्री हरीशचन्द्र पोखरिया S/o श्री त्रिलोचन	हरीश पोखरिया
26	श्री भुवनचन्द्र परगाँई S/o श्री भवदेव	भुवनचन्द्र
27.	श्री भवदेव परगाँई S/o श्री दयाकिशन	भवदेव परगाँई

दयाराम

सरपन्च,

वन पंचायत मटेला

वि० ख० ओखलकांडा (नैनीताल)

ग्राम पंचायत मटेला (stamp) — लीला त्रिपाठी, प्रधान, 23/8/14, वि० ख० ओखलकांडा (नैनीताल)

शंकरदत्त जोशी

सरपंच

वन पंचायत पोखरी तल्ली

दि० 14.9.2014

Hema

सदस्य क्षेत्र पंचायत

ग्राम पोखरी मल्ली/मटेला/...

वि० ख० ओखलकांडा (नैनी० ता०)

दिनांक.............

ग्राम पंचायत पोखरी मल्ली (stamp) — 14/9/2014, वि० ख० ओखलकांडा (नैनीताल)

नारायण सिंह मटियाली

प्रतिनिधि विधायक

ओखलकांडा

1·7

Form – 1

Government of Uttrakhand

Office of the District Collector: Nainital

No ---10-------- **Date** ---22/12/14--

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forest (MOEF) Government of india`s letter no, 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 wherein MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006 ('FRA', for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MoEF's letters dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **1.26 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Ty. Div. P.W.D. BHOWALI UTTARAKHAND for Construction of CHIDAKHAN TO HIGH SCHOOL TALLI POKHARI MOTOR ROAD LENTH 6.00 KM in Nainital District falls within Jurisdiction of Matela, Talli Pokhari Village(s) in Dhari Tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **1.26 hectares** of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee(s) gram sabha(s) sub division level committee(s) and district level committee are enclosed as annexure 1 to ....annexure.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabha's have been given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District collector)

जिलाधिकारी.

नैनीताल

1.7.

It is further certified that

S.No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.26 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations ad meetings of the Forest Rights committees (s) and the District level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats' belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabha's have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी.
नैनीताल

1·7

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Deepak Rawat I.A.S.** Deputy Commissioner. Nainital on date 22/12/14 at time 3:05PM at Nainital in Which application claiming rights of national area measuring **1.26 hect.** for **. Construction of CHIDAKHAN TO HIGH SCHOOL TALLI POKHARI Motor Road Length 6.00 Km at distt. Nainital Uttarakhand.** Forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Bhimtal sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Deputy Commissioner-cum-Chairmen
District Level Committee.
जिलाधिकारी.
नैनीताल

Dated:

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छिड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.26 है0 बनभूमि प्रयोक्ता एजैन्सी अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली, नैनीताल को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छिड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हेतु 1.26 है0 बनभूमि प्रयोक्ता एजेन्सी एजैन्सी अस्थाई खंण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखंण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति,धारी, नैनीताल तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं । बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है । परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छिड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी निर्माण 1.26 है0 वनभूमि का हस्तावन्तरण कार्यालय उप जिलाधिकारी,धारी, जिला–नैनीताल।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,......धारी | नैनीताल

उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छिड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण0.875 हे0 आरक्षित वन भूमि0.4025 हे0वन पंचायत वन अर्थात कुल 1.26 हे0 वन भूमि का अ0ख0लोक निर्माण विभाग,भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील धारी) की दिनॉक..................... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....राकेश चन्द्र तिवारी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैं।

1. श्री राकेश चन्द्र तिवारी उपजिलाधिकारी ....उ० धारी | नैनीताल....अध्यक्ष
2. श्री....दिनकर तिवारी....... उप प्रभागीय वनाधिकारी....मुक्तेश्वर....................सदस्य
3. श्री के एन - शर्मा ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी....ओखलकांडा....सदस्य/सचिव
4. श्रीमती हेमा देवी .... बी0डी0सी0क्षेत्र....मरेला - पोखरी....................सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी (मु०) नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल.

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत छिड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 1.26हे0 वनभूमि लोग निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी,वन प्रभाग,नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इस सम्बन्ध मे ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हे। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत [illegible] से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु 1.26हे0 वन भूमि अ0ख0लोक निर्माण विभाग, भवाली प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– धारी
जनपद– नैनीताल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी,नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-- धारी
जनपद नैनीताल

(दान सिंह भण्डारी)
विधायक
भीमताल (नैनीताल)

(13/17)

Teh / RSI

हे० अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम के संबंध में आख्या प्रस्तुत करें

SDM
17/10/2014

रिपोर्ट राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र औलिया तह० धारी नैनीताल

महोदय

जनपद नैनीताल अन्तर्गत हिरखान सेजुब्बई से कुल पोखरी तल्ली जाने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग में अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी (वन निवासी) की भूमि नहीं पड़ती है।

अतः जाँच आख्या सेवा में प्रेषित है।

उत्तराखण्ड राजस्व पुलिस जनपद
20/10/2014
रा० उप निरीक्षक
तह० धारी
नैनीताल

Main Attachment 1.7

1.7

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री जी

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून,

विषय–विकासखण्ड ओखलकाण्डा, जनपद नैनीताल के छींड़ाकान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पोखरी तक सम्पर्क मोटरमार्ग के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार हैकि छींड़ाकान से तल्ली पोखरी सम्पर्क मोटर मार्ग जिसकी लम्बाई ६ किमी है जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत है जिसमें 1 किमी आरक्षित वन क्षेत्र है जिसमें वृक्षों की संख्या कम है और जो वृक्ष हैं भी वे मरने वाले तथा जलावन लकड़ी के काम के हैं।

महोदय उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम–मटेला, मल्ली पोखरी, तल्ली पोखरी, चकसैदुला, सरसंड्या, ओखलकनियां एवं वडारी सात गांवों के करीब ४५०० (चार हजार पांच सौ) ग्रामीणों को लाभ मिल पायेगा, उक्त मार्ग के बन जाने से ग्रामीणों की कृषि उपज, फल–सब्जी आदि बाजार तक ले जाने में काफी मदद मिलेगी।

अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की समस्या का निदान करने हेतु उक्त मार्ग के निर्माण का अपने स्तर से मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करेंगे। समस्त क्षेत्रवासी एवं गरीब किसान सदैव महोदय के आभारी रहेंगे।

महोदय उक्त मार्ग का शिलान्यास भी 17/11/2008 को किया जा चुका है,

भवदीय

समस्त क्षेत्रवासी/जनप्रतिनिधि

प्रतिलिपि (1) माननीय संसदीय मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन देहरादून आवश्यक कार्य वाही हेतु,

(2) माननीय सांसद जी नैनीताल

नारायण सिंह उपप्रधान

पाण्डे जोशी

सुरेश चन्द्र जोशी

नन्दा बल्लभ जोशी

नारायण दत्त जोशी

महेश चन्द्र जोशी

[illegible] जोशी

त्रिलोचन जोशी

धर्मानन्द

दयाकिशन [illegible] (उपप्रधान)

गोपाल दत्त पोखरिया

त्रिलोचन पोखरिया

सरिता पोखरिया

बच्ची पोखरिया

[illegible] पाण्ड्या, सदस्य, क्षेत्र पंचायत, वि०ख० ओखलकाण्डा, नैनीताल (उत्तराखण्ड)

[illegible]
प्रधान,
ग्राम पंचायत मटेला
वि० ख० ओखलकाण्डा (नैनीताल)

वासुदेव जोशी
प्रधान,
ग्राम पंचायत मल्ली पोखरी
वि० ख० ओखलकाण्डा (नैनीताल)

[illegible]
प्रधान,
ग्राम पंचायत [illegible]
वि० ख० ओखलकाण्डा

सरस्वती देवी
(श्रीमती सरस्वती देवी)
सदस्य
क्षेत्र पंचायत [illegible]
वि० ख० ओखलकाण्डा
जिला– नैनीताल

विपिन
विपिन [illegible]

13

[illegible] पोरवाल

[illegible]

रिमेश चन्द्र

[illegible] दत्त

माधवी जोशी

कैलाशचन्द्र जोशी

[illegible] जोशी

देवीदत्त जोशी

[illegible]

दीपकचन्द्र जोशी

महेश चन्द्र पोरवाल

चन्द्र [illegible] जोशी

रविन्द्र जोशी

हीरा जोशी

दीपा जोशी

[illegible]

[illegible]

रनजीत [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] प्रकाश [illegible]

केशव दत्त

हेम चन्द्र [illegible]

पीताम्बर पोरवाल

शंकर दत्त

[illegible]

[illegible] चन्द्र

[illegible]

[illegible]

गणेश दत्त

हरिदत्त जोशी

[illegible]

गोपाल राम

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1.6
1.7

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :— **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छीडाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग का 1.26 हैक्टयर वन भूमि का हस्तान्तरण**

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण प्रत्र
ग्राम पचांयत का नामः— मटेला,मल्ली पोखरी
तहसील धारी, जनपद नैनीताल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला नैनीताल उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत छीड़ाखान से हाईस्कूल तल्ली पोखरी मोटर मार्ग का निर्माण हेतू {आरक्षित वन 0.875 हे0 एवं वन पचांयत भूमि 0.4025 है0} अर्थात कुल **1.26** है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग भवाली विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार ,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतू आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मटेला दिनांक 23/08/2014 एवं ग्राम पंचायत मल्ली पोखरी दिनांक 14/09/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैटक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी । यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पस्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतू आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा हैं ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया/ प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मटेला एवं मल्ली पोखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 1.26 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतू दिये जाने पर कोइ आपत्ति नही हैं

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही हैं

8/9/2014
सरपन्च,
वन पंचायत मटेला
वि. ख. ओखलकांडा (नैनीताल)

प्रधान-ग्राम पंचायत मल्ली
वि.ख.- ओखलकाण्डा
तहसील-धारी
ह0
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि० ख० ओखलकांडा (नैनीताल)

Heme
सरपंच भेज पंचायत
ग्राम पोखरी तल्ली मटेला
वि० ख० ओखलकांडा (नैनीताल)
दि. 23/8/14

ग्राम पंचायत मटेला
लीला त्रिपाठी
प्रधान
ह0
ग्राम प्रधान
वि० ख० ओखलकांडा (नैनीताल)

(दान सिंह भण्डारी)
विधायक
भीमताल (नैनीताल)

सरपंच
वन पंचायत पोखरी तल्ला
दि० 23/8/14